

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

संख्या-03 / बजट-01-18 / 2026 / / आ0प्र0

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

पटना-23, दिनांक-

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष-2245-02-101-0002-खाद्यान्न की आपूर्ति में रु० 20.00 लाख एवं व्यय शीर्ष-2245-02-112-0002-जनसंख्या का निष्क्रमण में रु० 15.00 लाख अर्थात् कुल रु० 35.00 लाख (पैंतीस लाख रुपये) आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:-स्वीकृत ।

- इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02-बाढ़, चक्रवात आदि, लघु शीर्ष-101-आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष-0002-खाद्यान्न की आपूर्ति तथा लघुशीर्ष-112-जनसंख्या का निष्क्रमण, उपशीर्ष-0002-जनसंख्या का निष्क्रमण, मांग संख्या-39, विपत्र कोड-39-2245021010002 एवं 39-2245021120002 के अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
- पूर्व/वर्तमान आवंटित राशि की विवरणी निम्न प्रकार है : -

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	जिला	2245-02-101-0002- खाद्यान्न की आपूर्ति, विषय शीर्ष- 21 03-आहार/पथ्य (आँधी-तूफान के मद्देनजर)		2245-02-112-0002- जनसंख्या का निष्क्रमण, विषय शीर्ष- 35 01-नगद/वस्तु (आँधी-तूफान के मद्देनजर)		आवंटन का कुल योग	
		पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि
1	मधेपुरा	0.00	20.00	0.00	15.00	0.00	35.00

- उक्त आवंटित राशि से जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक-402 दिनांक-15.04.2026 एवं 403 दिनांक-15.04.2026 के माध्यम से की गई अधियाचना के आलोक में वर्ष 2025 में आयी आँधी-तूफान के मद्देनजर व्यय किया जाएगा।
- आवंटित की गई राशि की निकासी **Fully Vouched Bill** के माध्यम से की जाएगी।
- यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक-2561वि0 (2) दिनांक-17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
- प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(मो० नदीमुल गफफार सिद्दीकी)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-03/बजट-01-18/2026/.....21...../आ0प्र0, पटना-23 दिनांक-30-04-26
प्रतिलिपि-

1. वित्त विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
2. कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रमंडलीय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के वरीय प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
6. आई0टी0 मैनेजर/प्रोग्रामर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार को विभागीय Web Site पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव
29/4